7. सोलर पावर पैक : सोलर पावर पैक की स्थापना हेतु ऐसे ग्रामों का चयन किया जाता है जिसमें विभाग द्वारा बिजली की व्यवस्था न करायी गयी हो, एवं न ही चार-पाँच वर्षों तक विद्युत की व्यवस्था की जानी सम्भव न हो, उस गाँव में प्रत्येक परिवार को एक सोलर घरेलू बत्ती विभाग द्वारा निर्धारित सिक्यूरिटीमनी जमा कराकर उपलब्ध करायी जाती है। उक्त सिक्यूरिटीमनी का उपयोग पावर पैक से संबंधित लाभार्थियों को बैटरी बदलवाने के उपयोग में पाँच साल के उपरान्त लायी जाती है। सोलर पावर पैक की स्थापना हेतु प्रत्येक लाभार्थी से लगभग रु० 1500/- लिया जाता है। उक्त के अतिरिक्त संयंत्र के रख रखाव शुल्क रु० 20/- प्रतिमाह अलग से देय होता है।

8. सोलर पम्प : एक हार्स पावर सोलर पम्प 65000 ली० पानी प्रतिदिन पम्प करता है, जिसकी कुल लागत रु० 2,40,000/-आती है, जिसे लाभार्थी को मात्र रु० 60,000/- ही जमा करने पर उपलब्ध कराया जाता है। इसकी स्थापना हेतु लाभार्थी की स्वयं की बोरिंग होनी चाहिए एवं लाभार्थी को संयंत्र के परिवहन तथा स्थापना का व्यय देना होता है।

9. सामुदायिक शौचालय एवं बायोगैस संयंत्र : इस योजना के अन्तर्गत जहाँ कम से कम 100 परिवार, (500, आबादी) हो वहाँ पर दस शीट शौचालय एवं 15, घन मी० क्षमता का मानव मल मूत्र पर आधारित बायोगैस संयंत्र के साथ-साथ दो स्नानगृह, दो पेशाब घर तथा एक चौकीदार कमरा बनाया जाता हे। बायोगैस से बनने वाली गैस को भोजन पकाने तथा प्रकाश व्यवस्था के रूप में किया जाता है। ग्राम पंचायत को (15×15 मी) नि:शुल्क उपलब्ध कराना होता है तथा प्रति परिवार रु० 50/- अग्रिम जमा करना होता है इसके साथ ही रु० 20/- प्रतिमाह देय होता है जिससे शौचालय के सफाई हेतु सफाई कर्मी रखा जाता है एवं मरम्मत का कार्य कराया जाता है।

ग्रामीण पेयजल योजना

यह योजना उ० प्र० में निम्नलिखित कार्यक्रमों के रूप में चलाइ जा रही है—

1. अनुसूचित जाति/जनजाति पेयजल योजना : प्रदेश सरकार के शतप्रतिशत अनुदान के अन्तर्गत प्रदेश की सभी अनु०जातियों/जनजातियों की बस्तियों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इण्डिया मार्का-2 हैण्ड पम्पों की स्थापना के लिए विकास खण्डों के माध्यम से कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

2. न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम : प्रदेश सरकार से शत-प्रतिशत वित्त पोषित इस कार्यक्रम को जिला योजना के अन्तर्गत कार्यान्वित किया जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सभी ग्रामीण बस्तियों में मानक के अनुसार तृसीकरण के स्तर तक शुद्धपेयजल उपलब्ध कराता है। इसके अन्तर्गत हैण्ड पम्प अधिष्ठापन तथा पुरानी क्षति-ग्रस्त पाइप लाइन जलापूर्ति योजनाओं का पुनर्जीवीकरण किया जाता है। इस कार्यकम के अन्तर्गत 21 प्रतिशत धनराशि अनुजाति/जनजाति के लिए मात्राकृत की जाती है।

3. त्वरित ग्रामीण जल सम्पूर्ति कार्यक्रम : भारत सरकार से शत-प्रतिशत अनुदानित इस कार्यक्रम का लक्ष्य थी सभी बस्तियों में हैण्डपम्प अथवा पाइप लाइन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल से संतृप्त करना है।

हैण्ड पम्पों के अधिष्ठापना हेतु स्थल चयन : स्थलचयन का अधिकार ग्राम पंचायतों को दिया गया है। ग्राम पंचायतें अपनी खुली बैठक में अथवा ग्रामसभा की बैठकों में स्थल चयन करेंगी।

- स्थल चयन में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि—
- स्थल सार्वजनिक हो तथा इससे किसी का आवगमन बाधित न होता हो।
- किसी जाति, धर्म, सम्प्रदाय के लिए प्रतिबंधित न हो।
- जल निकासी हेतु व्यवस्था हो तथा आस-पास के भूतल से नीचे तल का न हो।
- किसी रूके हुए या प्रदूषित जल स्रोत के निकट न हो।
- दूसरे हैण्ड पम्प या नलकूप से पर्यापत दूरी पर हो।

इसके अतिरिक्त मा० विधायकगण के विचारों को भी उसी आधार पर लिया जाना चाहिए जिस प्रकार आय कार्यक्रमों मे उनका परामर्श किया जाता है।

कार्यदायी संस्था : प्रदेश में ग्रामीण पेयजल योजना के लिए उ०प्र० जल निगम को कार्यदायी संस्था घोषित किया गया है।

रख रखाव :- हैण्डपम्पों के सामान्य रख-रखाव का दायित्व अब ग्राम पंचायतों का है। रख-रखाव पर आने वाला खर्च ग्राम पंचायतों को जवाहर ग्राम समृद्ध योजनान्तर्गत मिलने वाली धनराशि के 15 प्रतिशत अनुरक्षण मद से वहन किया जा सकता है।